

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संसार पर व्यक्त कुलविद्युत जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाने के लिए अन्य व्यक्तियों के नाम से। संश्लेषित विवरण पर यदि रूस में पर व्यक्त मुक्त हो तो पर व्यक्त एवं विनांक अन्य लिखा एवं विवरण संविदा है।



आम : कुलसचिव
दूरभाष : (0751) 2341766
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर
क्रमिक:एच/संरक्षता/2012/ 5428

दिनांक: 26/11/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एस.की.आइ.टि.एम. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर (0751-2568354) को सत्र 2010-11, 2011-12, 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड., एवं सत्र 2011-12, 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एड., पाठ्यक्रम तथा/या/उपक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/अस्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिच्छेद 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है।

- (1) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर आइस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)
- (2) प्रो. निवेक जाधव, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. 2थु श्रीवास्तव, प्राचार्या, गोरख कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिच्छेद 27(10) के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, गैरहदर राशि, वॉरिंट शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राध्यापक संख्या से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, भ्रंश परिसर एवं पाठ्यक्रम/आविर्जन्त तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मंत्र प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंसाएँ अंकित करें।

स्वायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 50 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिवस में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निम्नानुसार अर्बेण्ड जमा करवाकर मनीष समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अधिचार्य होगा। परिच्छेद 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक कार्यालय सहायक प्रचार्या, लेकर जायने तथा महाविद्यालय की वर्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करवेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को पी.ए. / सी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आजात है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)